भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2013

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग -66 पर निर्माण और मरम्मत कार्य

2013. श्री शफी परम्बिल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के अधीन सड़क निर्माण अनुबंध और उप-अनुबंध प्रदान करने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए सड़क ठेकेदारों को वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ग) केरल के वडकारा क्षेत्रों को कवर करने वाले एनएच -66 के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए सब-कॉन्ट्रैक्टर्स को कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) निर्माण कार्य पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रण (आरएफपी) आमंत्रित करने के लिए मानक दस्तावेज जारी किए गए हैं जिनमें आवश्यक तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। सड़क निर्माण अनुबंध आरएफपी में दिए गए मानदंडों की पूर्ति के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(ख) केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 66 के विभिन्न खंडों में निर्माण/मरम्मत कार्यों के लिए अब तक लगभग 16500 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) केरल के वडाकारा क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच-66 के निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए उप-संविदाकारों को सीधे कोई राशि से वितरित नहीं की गई है।

(घ) निर्माण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के मुख्य कारण अतिरिक्त कार्य, सामग्री की कमी, रियायतग्राही/संविदाकार के वित्तीय अवरोधों और विस्तारित मानसून अवधि आदि हैं।

*****